

[श्री रामकृष्ण गुप्ता]

कर रहा है और स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन भी अलग काम कर रही है। इस से भी काफी विकसत जाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना ट्रेड का काम किया जाता है, उस तमाम को को-ऑर्डिनेट किया जायगा वह एस० टी० मी० के धू किया जायगा।

इस के अलावा मैं कोई नई बात नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि नैक्सट मीमर जो रिपोर्ट पेश की जायगी, श्री पिन्कर हाउस के सामने रखी जायगी, वह इस साल से और भी ज्यादा बेहतर होगी, जैसे कि इस साल की रिपोर्ट पिछले साल से ज्यादा अच्छी है।

Mr. Chairman: The question is:

"That this House takes note of the Second Annual Report of the State Trading Corporation of India Limited for the period ending the 30th June, 1958, laid on the Table of the House on the 29th April, 1959."

The motion was adopted.

14.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTIETH REPORT

Mr. Chairman: The House will now take up Private Members' Bills.

Shri Ram Krishna Gupta (Mahendragarh): I beg to move:

"That this House agrees with the Fiftieth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th September, 1959."

Mr. Chairman: The question is:

"That this House agrees with the Fiftieth Report of the Com-

mittee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th September, 1959."

The motion was adopted.

14.30½ hrs.

MIRZAPUR STONE MAHAL (AMENDMENT) BILL—contd.

(AMENDMENT OF SECTION 3) BY SHRI RAGHUNATH SINGH—contd.

Mr. Chairman: The House will now resume further consideration of the following motion moved by Shri Raghunath on the 28th August, 1959:

"That the Bill further to amend the Mirzapur Stone Mahal Act, 1886 be taken into consideration."

Out of one hour allotted for the discussion of the Bill, one minute has already been taken on the 28th August, 1959 and 59 minutes are now available for further discussion today. Shri Raghunath Singh may continue his speech.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, यह एक बहुत पुराना स्टोन कानून है, जो १८८६ में पार हुआ था। जैसा कि सब को मालूम है, मिर्जापुर प्राचीन काल से ही पत्थर के कारोबार में अग्रणी रहा है। हिन्दुस्तान में चार पांच प्रकार के पत्थर होते हैं, जैसे सफ़ेद पत्थर, काला पत्थर, भूरा पत्थर और लाल पत्थर बगैरह। यह कानून स्टोन के सम्बन्ध में है, लेकिन स्टोन क्या पत्थर है और मिर्जापुर में किस प्रकार का स्टोन होता है, इस एक्ट में इस की कही परिभाषा नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि भारतीय संविधान के सातवें सिक्खल की २३वीं एन्ट्री के अनुसार यह अब स्टेट सबजेक्ट हो गया है और स्टेट्स को इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मैंने इस विधेयक को यहाँ इसलिए उपस्थित किया था कि चूंकि यह स्टैट्स एक्ट है, अतएव इस संसद् की यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस संशोधन को

स्वीकार करे। एक दूसरे महामुभाव का यह काम है, जिस को कि मैं करने जा रहा हूँ। प्रेषित तो यह था कि बीधान मानवीय थी, जिन की यह पुरानी कास्टीच्युएन्सी थी, इस प्रकार का विधान अपनी पुरानी कास्टीच्युएन्सी की सेवा के स्थान से उपस्थित करते, ताकि उन लोगों का कुछ उपकार हो जाता।

श्री बी० बी० शर्मा (गुरदासपुर) अब उन की कौन सी कास्टीच्युएन्सी है ?

श्री रघुनाथ सिंह : अब तो बस्ती है। अब यह यू० पी० में इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर से, उस वक्त यह उन की कास्टीच्युएन्सी थी।

श्री ए० ए० सिन्हा (बम्बय) इसी लिए वह डेबेल्य नहीं हुई।

श्री रघुनाथ सिंह : उस के प्रति अब भी उन का मोह है। ऐसा नहीं है कि मोह नहीं है— स्नेह है और ये उस स्नेह की फिर से उन को याद दिलाता है कि उस स्नेह के स्वरूप, उस धार और उस ऋण के स्वरूप जग मवेदनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण विचार उन को इन पर करना चाहिए।

श्री बी० बी० शर्मा : मोह को त्याग दो।

श्री रघुनाथ सिंह : इस विधेयक को लाने का मुख्य कारण यह था कि पहले जमाने में मिर्जापुर का पत्थर, जिस को कि चुनार स्टोन कहा जाता है, उत्तर भारत में प्रयुक्त किया जाता था, क्योंकि इमारत के काम में बही का पत्थर काम में आता था। या तो चुनार का पत्थर होता था, या भरतपुर का यास पत्थर होता था, जिस को डरे स्टोन कहते हैं। वे दो पत्थर बहुत सस्ते होते थे, जिन को इमारत के काम में लोग लाते थे। लेकिन आज कल सातायास के साधनों की सुविधा के कारण धीरे धीरे स्वानो पर जो पत्थर है उन का प्रयोग होते लगा है। दिक्कत इस वस्तु से पैदा हो गई कि जो हमारा चुनार का पत्थर है या मिर्जापुर का पत्थर है वह स्टोन

सेब स्टोन है। वह मार्बल स्टोन नहीं है, वह ब्लैक स्टोन नहीं है, ब्राउन स्टोन नहीं है, रेड स्टोन नहीं है। लेकिन जब यह कहीं जाता है तो जो चुगी ली जाती है उस के ऊपर, चूकि इस स्टोन की कोई परिभाषा नहीं है इस लिये कहीं पर मार्बल स्टोन की भाकड़ाय ली जाती है, कहीं पर रेड स्टोन की भाकड़ाय के हिसाब से ली जाती है, कहीं ब्लैकस्टोन की भाकड़ाय के हिसाब से ली जाती है और कहीं ब्राउन स्टोन की भाकड़ाय के हिसाब से ली जाती है। इस प्रकार से जो हमारे चुनार सब पत्थर बहुत सस्ता स्टोन होता है वह बहुत मंहगा होने लगा है, और इस का परिणाम यह हुआ है कि वहां पर लाने में काम करने वाले जो लोग हैं उन के पास आज काम नहीं रह गया है क्योंकि इतना मंहगा होने के कारण वह पत्थर बाहर नहीं भेजा जा सकता। अतएव मैं यह प्रार्थना करना हू कि इस छोटे से विधेयक को जो कि सिर्फ एक पंक्ति का है यानी "स्टोन ब्लैक सेब स्टोन"

Shri V. P. Nayar (Quilon) What is its chemical composition?

Shri Raghunath Singh: I do not know I am not a scientist Shri Malaviya is a scientist He can tell you

इन वस्तु में यह कहता हू कि इस पत्थर की मेरी परिभाषा सिर्फ यह है कि मिर्जापुर में जो सेब स्टोन होता है, जिस को कि हमारे मानवीय जी जानते हैं, और जिस के अलावा बड़ा कोई और स्टोन नहीं होता है, उस को स्वीकार कर लिया जाय। मिर्जापुर ऐक्ट में, जो कि सन् १८८६ का ऐक्ट है, अब तक इस स्टोन की परिभाषा नहीं है। इस लिये इस परिभाषा को, जो कि एक वास्तविकता थी है, एक अंश है, हमें स्वीकार करना चाहिये। इस के स्वीकार करने से यह होगा कि वहां की बातो में काम करने वाले जो लोग हैं, या जो वहां का पत्थर का व्यापार है, उस की सुविधि होगी। जो व्यापार आज एक प्रकार से ठप्प हो गया है, इस से उस व्यापार में

[श्री रघुनाथ सिंह]

एक नई जायति उत्पन्न होगी। चाप वहाँ पर जो वह पत्थर लगा हुआ देखते हैं वह भी चुनार का स्टोन है, मिर्जापुर का स्टोन है। कितना अच्छा यह स्टोन होता था, लेकिन आप उस मिर्जापुर स्टोन की कोई पूछ नहीं है।

Shri V. P. Nayar: The hon. Member may address a quorum in this House. Now there is no quorum.

Mr. Chairman: The hon. Member may resume his seat. The quorum bell is being rung.

Shri Raghunath Singh: This is only a Private Member's bill. Rather, it is our day. It is not a Government day.

Shri V. P. Nayar: I want more Members to hear your speech. Other hon. Members should also benefit by your speech. Such a good speech should not be wasted on 20 Members.

Mr. Chairman: Now there is quorum. The hon. Member can continue his speech.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह कह रहा था कि मिर्जापुर का जो स्टोन होता है वह इतना अच्छा होता है जिस का ठिकाना नहीं है। उस पर बड़ी सुन्दरता के साथ काम किया जा सकता है। खास कर आप जो जाली का काम देख रहे हैं वह मिर्जापुर स्टोन पर बड़ा अच्छा होता है ? दूसरी बात आप यह देखेंगे कि जितने भी प्रशोक के स्तम्भ हिन्दुस्तान में हैं, हिन्दुस्तान ही नहीं, उस के बाहर भी जितने स्तम्भ हैं, वे सब चुनार के पत्थर के हैं। चुनार स्टोन पर जो पालिश की जाती है वह इतनी अच्छी होती है कि उस का अन्दाजा लगाना कठिन है। सारनाथ जिन लोगों ने देखा है उन को इस का पता होगा। चुनार के स्टोन पर पत्थर से पत्थर लगा कर जो पालिश की जाती है वह

बहुत ही सुन्दर होती है। २५०० वर्षों तक की चीजें हम ने देखी हैं, वह उसी प्रकार के हैं जैसे कि बनी थीं। इसी प्रकार वे जितने प्राचीन स्तम्भ आप देखेंगे, जितने प्राचीन मिला लेख आप देखेंगे वह सब आप चुनार के स्टोन के पायेंगे।

चुनार के स्टोन की दूसरी तारीफ यह है कि वह बहुत लम्बा होता है। एक चुनार की खान ही ऐसी खान है जहाँ लम्बा पत्थर होता है। आप किसी भी प्रशोक के स्तम्भ को देख लीजिये। उन में आप ४०, ४० फीट तक के पत्थर पायेंगे। इस प्रकार से जो हमारे देश का इतना सुन्दर व्यापार था, जो हमारे उत्तर प्रदेश की इतनी सुन्दर कला थी, आज वह व्यापार और कला घट रही है। उस का नाश हो रहा है। इस वास्ते मैं मालवीय जी से विनोद रूप से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस एक लाइन के विधेयक को, जिस में इस पत्थर की डेफिनिशन दी हुई है, स्वीकार कर लें। और अगर हमें स्वीकार न कर सकें तो राज्य सरकार को लिखे कि वह चुनार स्टोन को डिफाइन्ड कर दे, ताकि इस व्यापार में जो व्यवधान पैदा हो गया है वह उपस्थित न हो।

The Parliamentary Secretary to the Minister of Steel, Mines and Fuel (Shri Gajendra Prasad Sinha): Mr. Chairman, Sir, the hon. Member has already referred to the fact that though he has brought this amendment to the Act this Chunar stone or the sand-stone to which he has referred in his amendment is entirely within the purview of the State concerned. He has accepted that the matter may be referred to the State Government so that necessary steps may be taken. According to Entry 23 in the Seventh Schedule, it is already laid down that whatever enactment is to be made for this type of minerals it should be done by the States. I would like to assure the hon. Member that we thank him

for what he has said and assure him that whatever point that has been raised by him will be referred to the State concerned and if the State considers it necessary the Act will be amended accordingly

As far as charging of taxes at different rates is concerned, the hon Member will appreciate that that also is entirely under the control of the State Government. We cannot interfere in that matter. He simply wanted a clarification that Mirzapur stone be classified as sand-stone. This matter, we assure him, will be referred to the State concerned.

Mr. Chairman: Is that the reply?

The Minister of Mines and Oil (Shri K. D. Malaviya): I have nothing to add to what my hon colleague has said. The matter will be referred to the State Government and I hope they will accept the good advice given by my hon friend, Shri Raghunath Singh.

Shri V. P. Nayar: I could not find out as to what type of stone it is. Unfortunately I have not been to Mirzapur. What is the chemical composition of this stone?

Shri K. D. Malaviya: So far as the sand-stone referred to by my hon friend is concerned, it appears to me

Shri V. P. Nayar: It is not a precious stone?

Shri K. D. Malaviya: No. It is silica, containing perhaps more airspace than what is contained usually in other stones. Physically it is not such a compact stone as other stones are.

Shri V. P. Nayar: What geological age do you attribute to it?

Shri K. D. Malaviya: I do not know what the geological age of that sand-stone is. I cannot say.

श्री रघुनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने श्री संसदीय सचिव महोदय ने जो भाषावाचन दिया है उस का मैं स्वागत करता हूँ और फिर उन से निवेदन करता हूँ कि वह स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में याद कर के हिदायत भेजें और अपनी ओर से सुझाव भेजें कि जो बेचारे गरीब लोग पत्थर की खानों में काम करने जा रहे हैं और पत्थर तोड़ कर पैसा पैदा करने वाले लोग हैं उन का कुछ उपकार किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को वापस लेता हूँ।

Mr. Chairman: Has the hon Member leave of the House to withdraw the Bill?

Shri V. P. Nayar: No. It is a very important Bill.

Mr. Chairman: I do not think Shri Nayar means it seriously. I think the hon Mover of the Bill has the leave of the House to withdraw it.

The Bill was, by leave, withdrawn.

15.46 hrs

ORPHANAGES AND OTHER CHARITABLE HOMES (SUPERVISION AND CONTROL) BILL, by Shri Kailash Bihari Lall

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Chairman, Sir, I have the honour to move

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the supervision and control of orphanages, homes for neglected women or children and other like institutions and for matters connected therewith by Shri Kailash Bihari Lall, made in